



दिनांक 05/12/2024

पत्र सं0- 3844

/रेरा पंजीकरण/

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता

मेरठ वृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

मेरठ।

विषय:-माधवपुरम योजना सं0-10, मेरठ के सेक्टर-4 में स्थित रिक्त 30 नग आवासीय भूखण्डों का रैरा के अन्तर्गत पंजीकरण कराने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

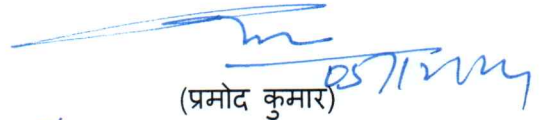
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-2747/E-28/121 दिनांक 14.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माधवपुरम योजना सं0-10, मेरठ के सेक्टर-4 में स्थित रिक्त 30 नग आवासीय भूखण्डों का रैरा के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर माधवपुरम योजना सं0-10, मेरठ के सेक्टर-4 का स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार विभिन्न साइज के 30 नग आवासीय भूखण्डों (तालिका में अंकित विवरण के अनुसार) का यू0पी0 रैरा में पंजीकरण कराने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आवास आयुक्त (म0) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	नग
1	62.72 वर्ग मी0	09
2	63.28 वर्ग मी0	01
3	40.29 वर्ग मी0	02
4	25.05 वर्ग मी0	18
	योग	30

अतः आवास आयुक्त (म0) द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(प्रमोद कुमार)

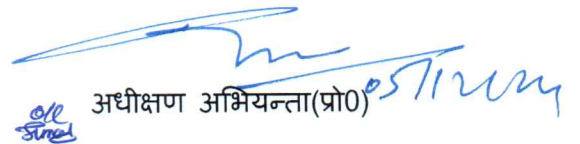
अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)

दिनांक 05/12/2024.

पृष्ठ सं0 3844

/उक्त/

प्रतिलिपि:-अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)